THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DIS TRTBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The meeting was held to review the position of availability of stocks in the North-Eastern States and discuss measures to prevent smuggling of foodgrains across national border. The following action points were finalised in the meeting: —

(1) The monthly allocation of PDS commodities would be decided around the 5th of every month for the subsequent month and communicated to the State Governments immediately. State Governments should finalise sub-allocations to districts etc. well in time.

(2) Any request for enhanced allocation would be considered by the Central Government to the extent feasible. FCI has been asked to stock at least a month's requirement in all the States.

(3) The State Governments should immediately bring to the notice of the senior FCI officials any shortage of stocks-

(4) The State Governments should set up Civil Supplies Corporation to improve PDS in these States.

(5) The State Governments should submit detailed proposal for construction of godowns and purchase of vans to Central Government. Proposals from these States would be considered on priority basis.

(6) To prevent smuggling of essential commodities across the borders, the State Governments should step up action under the Essential Commodities Act. the Customs and BSF authorities should also step up vigilance in the Border areas.

(7) All PDS consumers should be issued ration cards in North-Eastern States. The present system of issue on the basis of registers should be phased out.

दिल्ली में जाली राशन कार्ड

1760. **श्री राम सिंह राठवा :**

श्री मतंग सिंह :

श्री कृष्ण कुमार बिरला :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में घुमंतुओं और अवैध विदेशी आप्रवासियों को बहुत से राशन कार्ड जारी किये गये हैं, यदि हां, तो वर्ष 1991 से 1993 के दौरान ऐसे कार्डों के माध्यम से ली गई वस्तुओं की मात्रा सहित उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या ये अवैध राशन कार्ड दिल्ली में उचित दर दुकानों के मालिकों और राशन कार्यालयों के कर्मचारियों की मिलीभगत से जारी किये गये हैं, जिसके लिए राशन कार्यालयों के कर्मचारी और उचित दर दुकानों के स्वामी काफी धन प्राप्त कर रहे हैं; और

(ग) सरकार ने इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है और राशन कार्यालयों के कर्मचारियों और दुकानदारों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि दिल्ली के निवासियों को राशन कार्ड दिल्ली विनिर्दिष्ट वस्तुएं (विनियमन एवं वितरण) आदेश, 1981 के उपबंधों के अनुसार जारी किए जाते हैं । राशन कार्ड उन आवेदकों को, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के सामान्यत: निवासी हैं, जारी किए जाते हैं । दिल्ली

प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्होंने घुसपैठियों और गैर-कानूनी आप्रवासियों को कोई राशन कार्ड जारी नहीं किया है ।

1761. *[Transferred to 17th August, 1993.]*

Malfunctioning of Consumer Protection Agencies

1762, SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Consumer Protection Act, 1986 is not being properly implemented because many of the District, Fora are not functioning properly and some State Consumer Protection Councils are also not meeting regularly;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what remedial action Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) to (c) As per information available with the Central Government, 452 District Fora are functioning in the country. Similarly, State Consumer Protection Councils have been set up in all the States/UTs. The Act does not extend to the State of Jammu and Kashmir. The proper functioning of District Fora and State Consumer Protection Councils is the responsibility of the State Governments. The Central Government has received a few complaints where District Fora are not functioning properly and State Consumer Protection Councils are not meeting regularly State Governments have been asked to take remedial action in the matter.

जाली राशन कार्डों का प्रचलन में होना

1763. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के प्रयत्नों के बावजूद भी जाली राशन कार्ड प्रचलन में हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत छह महीनों के दौरान राज्य-वार कितने जाली राशन कार्डों का पता लगाया गया है ; और

(ग) इस मामले में अधिकारियों की मिलीभगत होने की संभावना का पता लगाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित करने में संचलनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है । राशन कार्ड जारी करने, हकदारी के मानदंड आदि के बारे में निर्णय उनके द्वारा किए जाते हैं। राज्य प्रशासन के अधिकारी अपने प्रशासकीय कार्यों के अंग के रूप में नियमित जांच करते हैं तथा अचानक दौरे करते हैं और जाली राशन कार्डों अथवा जाली यूनिटों को समाप्त करने सहित आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी प्रकार के अन्य कानूनों के उपबंधों को लागू करते हैं । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार गत छः महीनों के दौरान 31-7-93 तक लगभग 6.89 लाख जाली कार्डों को समाप्त किए जाने की सूचना है। इसमें पंजाब तथा गोवा और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ व पांडिचेरी की राज्य सरकारों के संबंध में आंकड़े शामिल नहीं हैं ।